न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करणसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील माल प्रकरण सं0 81/14

बलजीतसिंह पुत्र श्री मिठुसिंह जाति तटसिख निवासी चक 6 एच बड़ा हाल निवासी उड़ाग तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)

— अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर।
2. राजेन्द्रपाल पत्नी श्री हर्षपिन्द्रसिंह
3. यशजोतसिंह पुत्र श्री हर्षपिन्द्रसिंह
4. चरणजीतसिंह पुत्र श्री जसवन्तसिंह
5. मिण्डीकौर उर्फ सुखविन्द्रकौर पत्नी श्री जसवन्तसिंह
6. हरजीतसिंह पुत्र श्री हरफूलसिंह
7. हरदतसिंह पुत्र श्री हरफूलसिंह
8. फूलसिंह पुत्र श्री गुलजारासिंह
9. विरेन्द्रसिंह पुत्र श्री गुलजारसिंह
10. सुखदेवसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह
11. जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री दयालसिंह
12. सरदारासिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह
13. जसविन्द्रसिंह पुत्र श्री श्यामसिंह
14. मेहरसिंह पुत्र श्री मित्तसिंह

अकवाम जटसिख सकनाए चक 6 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, (राजस्व) श्रीगंगानगर
दिनांक 06–12–10

उपस्थित : 1. श्री खेतपाल सिहाग, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1
3. रेस्पो0 सं0 2 से 14 के विरूद्व एकपक्षीय

आदेश **दिनांक :17–06–15**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के सक्षम प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि जमाबंदी चक 6 एच बड़ा के खाता नं0 9/9 में संयुक्त खाता चरणजीतसिंह वगैरा में अपीलार्थी 1.440 है0 कृषि भूमि का खातेदार है। उक्त खाते का विभाजन राजस्व अभियान के द्वारा दिनांक

2

6-12-10 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उसके हस्ताक्षर किसी तथाकथित फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर विभाजन संयुक्त खातेदारों के मध्य किया गया है। इस विभाजन के जरिये अपीलार्थी की 1.440 है0 कृषि भूमि अन्य सहकाश्तकारों के नाम राजेन्द्रपालकौर आदि के नाम उसके हिस्से से अधिक भूमि दर्ज करते हुए अपीलार्थी की 1.440 है0 कृषि भूमि से घटाकर 0.010 है0 कृषि भूमि दर्ज कर दी गई जो बिना किसी आधार , बिना किसी बैयनामा, बिना किसी उपहार, बिना किसी हस्ताक्षर, बिना दस्तावेज बनाये कम कर दी गई। अपीलाधीन आदेश दिनांक 6-12-10 के आधार पर दर्ज किया गया इंतकाल सं0 170 दिनांक 20-10-10 कानून के खिलाफ व रेकार्ड एवं सर्वमान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने संयुक्त खाता संख्या 9/9चक 6 एच बडा के विभाजन हेतु कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। राजस्व अभियान में पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें विभाजन हिस्सा के अनुसार, कब्जा के अनुसार सही होना अंकित नही किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड एवं तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 06.12.2010 निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

रेस्पोडेंट्स के सम्मन अपील के शीर्षक अनुसार वास्ते तामील तहसीलदार, गंगानगर. को प्रेषित किये गये थे। तामील रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेंट गांव 6 एच बड़ा में आबाद न होकर पंजाब में आबाद होना अंकित किया है। वकील अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेंट की तलबी जरिए समाचार पत्र करवाये जाने का आदेश पारित किया गया। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने के बाद नियमानुसार निर्धारित समय के उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या 2 से 14 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई। वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि जमाबंदी चक 6 एच बड़ा के खाता सं0 9/9 में संयुक्त खाता चरणजीतसिंह वगैरा में अपीलार्थी 1.440 है0 कृषि भूमि का खातेदार है। उक्त खाते का विभाजन राजस्व अभियान में दिनांक 6-12-10 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उसके हस्ताक्षर किसी तथाकथित फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर विभाजन संयुक्त खातेदारों के मध्य किया गया है। इस विभाजन के जरिये अपीलार्थी की 1.440 है0 कृषि भूमि अन्य सहकाश्तकारों के नाम राजेन्द्रपालकौर आदि के नाम उसके हिस्से से अधिक भूमि दर्ज करते हुए अपीलार्थी की 1.440 है0 कृषि भूमि से घटाकर 0.010 है0 कृषि भूमि दर्ज कर दी गई जो बिना किसी आधार , बिना किसी बैयनामा, बिना किसी उपहार, बिना किसी हस्ताक्षर, बिना दस्तावेज बनाये कम कर दी गई। अपीलाधीन आदेश दिनांक 6-12-10 के आधार पर दर्ज किया गया इंतकाल सं0 170 दिनांक 20-10-10 कानून के खिलाफ व रेकार्ड एवं सर्वमान्य सिद्वान्तों के खिलाफ है। अपीलार्थी ने संयुक्त खाता संख्या 9/9, चक 6 एच

(प्रशासन)
(राज.)

कब्जा के विभाजन हेतु कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। राजस्व अभियान में पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें विभाजन हिस्सा के अनुसार, कब्जा के अनुसार सही होना अंकित नही किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड एवं तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश 06.12.2010 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर विभाजन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की विधिसम्मत् रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन है जो अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का गहतना से अवलोकन किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अभियान के तहत सहमति के बंटवारे हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराये गये रेकार्ड में शामिल नहीं है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति थी अथवा नहीं। सहमति के बंटवारे हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से जो रिपोर्ट प्राप्त की गई है, उसमें विभाजन हिस्सा के अनुसार, कब्जा के अनुसार सही होना अंकित नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में गहन जॉच की आवश्यकता होने से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्बन्धित सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, सहमति के बंटवारे हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार विभाजन हिस्सा, कब्जा के अनुसार सही होना अंकित करना प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में गहन जॉच कर, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक [illegible].07.2015 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 17–06–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करणसिंह गोठवाल) 17/6/15
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)